

प्रेस नोट

31.10.2021

गैंगेस्टर एक्ट में वांछित एक अभियुक्त गिरफ्तार—

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री सुशील घुले के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 31.10.2021 को थाना हलधरपुर पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान पहसा चट्टी के पास से मु0अ0सं0 304/21 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त संतोष पुत्र नारायण निवासी इटौरा थाना हलधरपुर जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

एक वांछित अभियुक्त गिरफ्तार—

आज दिनांक 31.10.2021 को थाना दोहरीघाट पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना नई बाजार के पास से मु0अ0सं0 243/21 धारा 376,493,506 भादवि0 में वांछित अभियुक्त सचिन कुमार पुत्र शिवरतन निवासी सलासो थाना दोहरीघाट जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

चोरी के सामान के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार—

आज दिनांक 31.10.2021 को वादी द्वारा वोडाफोन टावर का केबल चुराते हुये राजेश यादव पुत्र विन्दर यादव निवासी उमापुर थाना सरायलखंसी जनपद मऊ को पकड़ कर थाना स्थानीय को सूपूर्द किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 630/21 धारा 379,411 भादवि0 की अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त का चालान न्यायालय किया गया।

03 गत्ता व 65 डब्बा अवैध विष्फोटक सामग्री (पटाखा) के साथ एक गिरफ्तार—

दिनांक 30.10.2021 को थाना मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान मुहल्ला सैदपुर कस्बा मुहम्मदाबाद से शुभम कुमार वर्मा पुत्र विरेन्द्र कुमार निवासी सैदपुर थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ के कब्जे से अवैध 3 गत्ता व 65 डब्बा अवैध विष्फोटक सामग्री पटाखा बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 586/21 धारा 5/9बी विष्फोटक अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

20 लीटर अवैध देशी कच्ची शराब के साथ 02 गिरफ्तार—

दिनांक 30.10.2021 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना दक्षिणटोला पुलिस द्वारा नयादौर मतलूपुर के पास से इश्तेयाक अहमद पुत्र स्व0 मुमताज निवासी शाहीकटरा थाना कोतवाली के कब्जे से 05 लीटर अवैध देशी कच्ची शराब, थाना दोहरीघाट पुलिस द्वारा बड़की बारी से ममता यादव पुत्र जियुत बन्धन यादव निवासी बड़की बारी थाना दोहरीघाट के कब्जे से 15 लीटर अवैध देशी कच्ची शराब बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना सम्बन्धित पर धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

आज दिनांक 31.10.2021 को भारत रत्न सरदार बल्लभ भाई पटेल की जयंती, राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर पुलिस अधीक्षक मऊ श्री सुशील घुले सहित समस्त क्षेत्राधिकारी/थाना प्रभारी द्वारा अपने अपने थानों/कार्यालयों/पुलिसलाइन पर सरदार बल्लभ भाई पटेल के चित्र पर माल्यार्पण कर राष्ट्रीय एकता और अखण्डता की सपथ ली गयी।